FORM NO. II
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2024/4

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर (राज0)

अपील संख्या 05/2024 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान– केदारलाल बनाम बत्तीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	विशेष विवरण
16.01.2024	पत्रावली पेश हुई। सरिस्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को एकपक्षीय सुना गया। वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2022 को जारी किया गया था। जिसका निस्तारण आज दिनांक तक लंबित है। जबकि नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश का प्रचलन व प्रभाव स्थगित कर अपील स्वीकार की जावे तथा अपील मे देरी के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे। प्रथम दृष्ट्या परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 5 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। हमने अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं अपील के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। साथ ही तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 12.12.2022 का अवलोकन किया। तहत न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सी पी सी की पालना नहीं की है। अतः तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के प्रकरण संख्या 107/2022 बउनवानी बत्तीलाल बनाम मिश्रीलाल वगै0 में आदेश दिनांक 12.12.2022 समर्थन योग्य नहीं पाया जाना के कारण इसकी क्रियान्विति/प्रचलन व प्रभाव स्थगित किया जाता है तथा तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण सुनिश्चित करे। पत्रावली निर्णित शुमार हो। 16/1/2024 उम्मेदीलाल मीना (आर.ए.एस) राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर	

Scanned with CamScanner